(58)

विभागीय कानूनगों परीक्षा जनवरी, 2017

समय: 3 धण्टे

कुल अंक–100

प्रश्न पत्र संख्या–4

प्रश्न–1 निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर चार सौ (400) शब्दों का निबन्ध लिखें (20 अंक शुद्ध व्याकरण एवम् सुस्पष्ट लिपि के लिये आरक्षित है)

(30)

(i) राजस्व विभाग का प्रशासन में महत्व।

(ii) भू–अभिलेख का कम्पयूट्रिकरण।

(iii) आपदा प्रबन्धन की महेत्वता।

(50 अंक)

प्रश्न–2 निम्नलिखित में से किन्ही पाँच का अन्तर बतायें।

(क) फर्द बाछ व ढाल वाछ।

(ख) मिसल हकीकत व जमाबन्दी।

(6)

(ग) खानगी व कानूनी तक्सीम ।

(5)

(ध) खाता नम्बर व खतौनी नम्बर।

(ड) बंजर कदीम व बंजर जदीद।

(च) मौरूसी व गैर मौरूसी मुजारा।

(5X2=10 अंक)

प्रश्न–3. हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवम् भू–सुधार अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत गैर कृषक द्वारा अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् कय की गयी भूमि का इन्तकाल दर्ज करते समय पटवारी द्वारा क्या प्रकिया अमल मे लायी जाती है। ऐसे इन्तकाल को दर्ज करते समय क्या–क्या इन्द्राज पटवारी द्वारा किये जाने आपेक्षित है?

(7)

(10 अंक)

–कृ.पृ.उ.–

प्रश्न–4(क) निशानदेही प्रकिया को अमल मे लाने के लिये वित्तायुक्त हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी हिदायतों का वर्णन करे।

(ख निशानदेही रिपोर्ट में क्या–क्या वर्णित किया जाना आवश्यक है, एक निशानदेही रिपोर्ट लिखकर बताया जायें।

(2X 5=1 0 अंक)

प्रश्न–5. फसल निरीक्षण (गिरदावरी) के क्या उद्धेश्य है? खसरा गिरदावरी रजिस्टर में गलतियों को दूर करने के लिए किन–किन हिदायतों की पालना की जानी चाहिए?

(1 0 अंक)

प्रश्न–6(क) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने में पटवारी की क्या भूमिका है?

(ख) अनूसुचित जाति एवम् आय प्रमाण पत्र पर पटवारी द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट में किन–किन बातों का वर्णन किया जाना आवश्यक है?

(2X5=1 0 अंक)

--------***-------